

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2021—पौष 18, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्रमांक ई 1-14/2020/एक-2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 बैच के निम्नांकित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के उपरांत उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम क्रमांक-4 में अंकित तिथि से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान Pay Matrix Level-12 में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष	वर्तमान पदस्थापना	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान की देय तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री रजत बंसल	कलेक्टर, बस्तर	01-01-2021

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री शिव अनंत तायल	कलेक्टर, बेमेतरा	01-01-2021
3.	श्री रितेश कुमार अग्रवाल	कलेक्टर, बीजापुर	01-01-2021
4.	श्री अभिजीत सिंह	कलेक्टर, नारायणपुर	01-01-2021
5.	श्री रणबीर शर्मा	कलेक्टर, सूरजपुर	01-01-2021
6.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा	कलेक्टर, कोण्डागांव	01-01-2021
7.	श्री तारण प्रकाश सिन्हा	उप सचिव, मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार- आयुक्त-सह-संचालक जनसम्पर्क.	01-01-2021
8.	सुश्री इफ्फत आरा	प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम	01-01-2021
9.	सुश्री दिव्या उमेश मिश्रा	संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग	01-01-2021
10.	सुश्री पुष्पा साहू	उप सचिव, खनिज संसाधन एवं उप सचिव पर्यटन एवं संस्कृति का अतिरिक्त प्रभार.	01-01-2021
11.	श्री संजय अग्रवाल	उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	01-01-2021
12.	श्री सुधाकर खलखो	संचालक ग्रामोद्योग एवं अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. माटीकला बोर्ड.	01-01-2021

2. उपरोक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि वे भविष्य में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में अनिवार्यतः भाग लेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

क्रमांक एफ 8-7/2016/7-4.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 53 की उपधारा (1) एवं (2) के तहत राज्य शासन एतद्वारा, श्री गोविंद मिश्रा (सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को सुपर टाईम स्केल (स्वयं का वेतनमान) पर, सेवा निवृत्त पर अनुज्ञेय वेतन में से पेंशन (सारांशीकृत अंश को शामिल करते हुए) को घटाकर, पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर, 2020

क्रमांक एफ 10-3/2017/वा.कर (आब.)/पांच. — राज्य शासन, एतद्द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रम, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक, निम्नानुसार अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में दर्शित पद पर नियुक्त करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम व पदनाम	छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक मंडल
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अमिताभ जैन (भा.प्र.से.) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन.	अध्यक्ष (गैर-पूर्णकालिक)
2.	श्रीमती अलरमेलमंगई डी. (भा.प्र.से.) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग.	निदेशक (गैर-पूर्णकालिक)

2. उक्त नियुक्ति हेतु समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 9 सितम्बर, 2020

क्रमांक एफ 20-47/2015/11/6.— चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तथा विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 में वर्णित बिंदु क्रमांक 5 के द्वारा “छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015” की कंडिका 2.13 के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित अनुसार संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार “लीज होल्ड भूमि से फ्री-होल्ड भूमि करने हेतु नियम-2019” नियम, प्रारूप एवं प्रक्रिया जारी करता है.

यह नियम जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट - 1**छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत
“लीज होल्ड भूमि से फ्री-होल्ड भूमि करने हेतु नियम - 2019”****(1) शीर्षक -**

यह नियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत **“लीज होल्ड भूमि से फ्री-होल्ड भूमि करने हेतु नियम-2019”** कहलायेंगे।

(2) कालावधि -

यह नियम अधिसूचना जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(3) प्रभावशीलता -

यह नियम, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीनस्थ उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ एवं इसके अधीन कार्यरत समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों तथा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) के नियंत्रणाधीन कार्यालयों अथवा इन नियमों के अंतर्गत भूमि आबंटन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी द्वारा **छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015** के अंतर्गत पट्टे पर औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों अथवा अन्य नामों से स्थापित एवं उपरोक्त संस्थाओं के नियंत्रण में संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटित भूमि, जो कि शासन की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, विभाग द्वारा पट्टाभिलेख द्वारा किये गये भूमि आबंटन रकबा 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ तक की एकचक भूमि के प्रकरणों पर प्रभावशील होंगे।

(4) लीज होल्ड से फ्री-होल्ड हेतु नियम :-

- (4.1) योजनान्तर्गत कंडिका-(3) में दर्शित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत इकाईयों को आबंटित 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ तक की एकचक भूमि या इससे कम पट्टाभिलेख पर आबंटित भूमि इस प्रावधान के अंतर्गत फ्री-होल्ड की जायेगी।
- (4.2) इकाईयों को पट्टाभिलेख में उल्लेखित मूल प्रयोजन हेतु, इकाईयों द्वारा प्रथम उत्पादन दिनांक से 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग उत्पादन प्रारंभ किया हो, उन इकाईयों को फ्री-होल्ड पर भूमि प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- (4.3) कंडिका - (4.2) में दर्शित समयवधि की गणना प्रश्नाधीन पट्टे की भूमि पर स्थापित एवं कार्यरत इकाई के संबंध में सक्षम प्राधिकारी - (उद्योग संचालनालय अथवा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र) द्वारा जारी ऐसा प्रमाण-पत्र जो कि प्रथम उत्पादन दिनांक का प्रमाणन करता हो, मान्यता योग्य होगा। यथा - स्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र, ई.एम.पार्ट - 2 अथवा उत्पादन प्रमाण पत्र आदि।

- (4.4) इन नियमों के अंतर्गत फ्री-होल्ड हेतु वही इकाईयां पात्र होगी जिनके द्वारा भूमि आबंटन के समय निष्पादित मूल पट्टाभिलेख में वर्णित कंडिकाओं का नियमानुसार पालन किया गया हो।
- (4.5) इन नियमों के अंतर्गत फ्री-होल्ड किये जाने के पूर्व इकाई के द्वारा संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सीएसआईडीसी (भू-आबंटन अधिकारी) को आवेदन कर सैद्धांतिक सहमति प्राप्त की जायेगी। पश्चात् आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-59 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का पुनर्निर्धारण कराया जायेगा तथा इसके पालन हेतु कंडिका को अनुबंध (उपाबंध-1) में अंकित किया जायेगा।

टीप :- अनुबंध दस्तावेज के पंजीयन पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क/ मुद्रांक शुल्क प्रभाय होगा।

- (4.6) इन नियमों के अंतर्गत यदि इकाईयों के पट्टाभिलेख निरस्त स्थिति हो/पट्टाभिलेख की कंडिकाओं के उल्लंघन के फलस्वरूप कोई कार्यवाही प्रचलित हो/कोई न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में हो, तो ऐसी इकाईयों को आबंटित भूमि फ्री-होल्ड करने की कार्यवाही तब तक ग्राह्यता योग्य नहीं होगी जब तक प्रचलित प्रकरणों का निराकरण नहीं हो जाता।
- (4.7) आबंटित भूमि के पट्टाभिलेख किसी बैंक/वित्तीय संस्था में अभिहस्तांकित होने की स्थिति में संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तथा एक से अधिक बैंक/वित्तीय संस्थाओं (ट्रस्टी के रूप में) में अभिहस्तांकित होने पर सभी बैंक/वित्तीय संस्थाओं से उपाबंध -2 के प्रारूप अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही फ्री-होल्ड की कार्यवाही की जायेगी। बेहतर हो कि इकाई को फ्री होल्ड किए जाने की सैद्धांतिक सहमति संबंधित भूखण्ड पर लिये गये ऋण अग्रिम आदि के भार से मुक्त होने/हो सकने की स्पष्ट स्थिति पर दी जावे। इस हेतु आवश्यकतानुसार त्रिपक्षीय अनुबंध इस नियमों पर निर्धारित प्रारूप पर लिया जा सकेगा, त्रिपक्षीय अनुबंध का प्रारूप वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा।
- (4.8) इन नियमों के अंतर्गत यदि इकाई के द्वारा आबंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर अतिक्रमण, अवैध आधिपत्य पाया जाता है, तो ऐसी इकाईयों को फ्री-होल्ड की पात्रता नहीं होगी।
- (4.9) यदि आवेदित इकाई पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सीएसआईडीसी द्वारा आबंटित भूमि का लीज रेंट, संधारण शुल्क आदि की राशि बकाया हो, तो ऐसी इकाईयों को फ्री-होल्ड की पात्रता नहीं होगी। ऐसी इकाईयों के द्वारा संबंधित संस्था का लीज रेंट, संधारण शुल्क आदि की राशि शास्ति सहित भुगतान किये जाने के उपरांत ही उनके आवेदन पर पात्रतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- (4.10) इन नियमों के अंतर्गत फ्री-होल्ड की गई भूमि का मूल प्रयोजन परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा अर्थात् भूमि का उपयोग "औद्योगिक प्रयोजन" के लिये किया जाना होगा तथा फ्री-होल्ड भूमि का उपयोग मूल पट्टाभिलेख में उल्लेखित प्रयोजन के लिये ही कर सकेगा। अनुमति प्राप्त गतिविधि से पृथक् किसी प्रयोजन में भूमि का उपयोग होने की स्थिति में फ्री-होल्ड हेतु दी गई अनुमति स्वमेय निरस्त हो जावेगी।
- (4.11) इन नियमों के अंतर्गत आबंटित भूमि को फ्री-होल्ड करने की अनुमति दिये जाने के पश्चात् यदि भूमि के प्रयोजन (औद्योगिक प्रयोजन से अन्य प्रयोजन में) में अनाधिकृत परिवर्तन होने की स्थिति में फ्री-होल्ड हेतु दी गई अनुमति स्वमेय निरस्त हो जावेगी तथा आबंटनकर्ता अधिकारी इकाई के द्वारा जमा की गई राशि को राजसात करते हुये उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
- (4.12) इन नियमों के अंतर्गत भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने के पश्चात् यदि मूल इकाई के द्वारा उत्पाद/गठन/स्वामित्व में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो, तो इकाई को संबंधित आबंटन प्राधिकारी को/संस्था को पूर्व संसूचना दिया जाना आवश्यक होगा। ऐसे परिवर्तन दिनांक से एक माह के भीतर इकाई के द्वारा निष्पादित फ्रीहोल्ड विलेख (उपाबंध-1) में तदनुसार संशोधन कराया जाना आवश्यक होगा।
- (4.13) आबंटित भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने के पश्चात् यदि इकाई के द्वारा भूमि का उपयोग आबंटित प्रयोजन के लिए नहीं किये जाने पर या इकाई 06 माह या अधिक समय से बंद पाये जाने की दशा में आबंटनकर्ता अधिकारी इकाई के विरुद्ध "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" के प्रावधानों एवं निष्पादित फ्रीहोल्ड विलेख के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
- (4.14) मूल आबंटि द्वारा फ्री-होल्ड भूमि का विक्रय अन्य इकाई को किये जाने के फलस्वरूप रु.10,000/- के सांकेतिक दर पर उक्त भूमि नवीन क्रेता के पक्ष में हस्तांतरित की जा सकेगी। उभयपक्षों के मध्य हस्तांतरण के लिये निष्पादित फ्रीहोल्ड विलेख दिनांक से एक माह के भीतर पंजीयक कार्यालय से पंजीयन हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाकर संबंधित विभागीय कार्यालय में इसकी प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। तदुपरांत संबंधित विभागीय कार्यालय के द्वारा मूल अनुबंध में यथा आवश्यक संशोधन किया जाकर तत्समय लागू प्रब्याजी अनुसार वार्षिक संधारण शुल्क एवं अन्य शुल्क संशोधित किये जावेंगे।
- (4.15) इकाईयों को फ्री-होल्ड भूमि के लिये भू-भाटक का भुगतान नहीं करना होगा, किन्तु तत्समय प्रचलित प्रब्याजी अनुसार वार्षिक संधारण शुल्क एवं अन्य शुल्क तत्समय लागू सभी करों सहित प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि पर देय होंगे। समयावधि में देय संधारण शुल्क एवं अन्य शुल्क का भुगतान नहीं करने पर मूल पट्टाभिलेख में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ब्याज/शास्ति वसूली योग्य होंगे।

- (4.16) इन नियमों के अंतर्गत फ्री-होल्ड करने के लिये आवेदक को रु.5,000/- (यथा लागू कर अतिरिक्त) अथवा आवेदन दिनांक पर विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाना होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा ।
- (4.17) इकाईयों को आबंटित भूमि फ्री-होल्ड करने के पश्चात भी शासन के अन्य सभी विभागों से संबंधित /लागू नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा ।
- (4.18) इन नियमों के अंतर्गत भूमि फ्री-होल्ड किये जाने पर इकाईयों के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत अभिन्यास अनुसार अनुमोदित भूखण्ड के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ऐसा पाये जाने पर आबंटनकर्ता अधिकारी **छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015** एवं निष्पादित फ्रीहोल्ड विलेख के प्रावधानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

(5) लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने की प्रक्रिया :-

- (5.1) मूल पट्टाग्रहिता इकाई द्वारा के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सीएसआईडीसी कार्यालय में आवेदन पत्र **(उपाबंध -03)** मय आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत किया जायेगा **(उपाबंध -04)**। भविष्य में इस प्रक्रिया को आनलाईन किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जावेगी।
- (5.2) आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सीएसआईडीसी कार्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के परिप्रेक्ष्य में आवेदन का परीक्षण/निरीक्षण किया जायेगा। आवेदन का परीक्षण पश्चात् विसंगतियों के संबंध में (यदि कोई हो) अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने हेतु एक बार पत्र भेजकर कमीपूर्ति कराई जा सकेगी। 07 दिवस में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर/कमीपूर्ति न होने पर अपूर्ण आवेदन मूलतः वापस किया जायेगा।
- (5.3) आवेदन पत्र पूर्ण होने पर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सीएसआईडीसी कार्यालय द्वारा इकाई का स्थल निरीक्षण कराया जायेगा। निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र **(उपाबंध -06)** पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार में निरीक्षण प्रतिवेदन अपने अभिमत एवं स्पष्ट अनुशंसा के साथ 15 दिवस में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- (5.4) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सीएसआईडीसी कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति के 45 दिवस में संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर फ्री-होल्ड की अनुमति प्रदान कर आदेश पारित करेगा । फ्री-होल्ड अनुमति संबंधी सैद्धांतिक सहमति **(उपाबंध -7)** पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार जारी किया जायेगा।
- (5.5) स्वीकृति आदेश **(उपाबंध-8)** के आधार पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सीएसआईडीसी एवं इकाई के मध्य इन नियमों में निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में फ्री-होल्ड विलेख का निष्पादन निर्धारित प्रपत्र अनुसार किया जायेगा।

- (5.6) निष्पादित अनुबंध का फ्री-होल्ड प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा स्वयं के व्यय पर पंजीयक कार्यालय में पंजीयन कराकर, पंजीकृत दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जोकि इकाई की नस्ती में संधारित की जायेगी। अभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात ही फ्री-होल्ड अधिकार प्रभावशील होंगे।
- (5.7) यथा आवश्यकता समय समय पर इस नियम के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक आवेदन पत्र के प्रारूप, अनुबंध के प्रारूप, पट्टाभिलेख में संशोधन के लिये संशोधित विलेख प्रारूप, पूंजी निवेश सत्यापन के लिये आवश्यक चार्टर्ड एकाउंटेंट, चार्टर्ड इंजीनियर के प्रमाण पत्र के प्रारूप, निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप, आदेश के प्रारूप तथा यथा आवश्यक अन्य दस्तावेजों का प्रारूप वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित किया जाकर पृथक से जारी किया जायेगा।

(6) लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने के अधिकार :-

- (6.1) **जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र :- छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015 के परिशिष्ट-6** में वर्णित अधिकारिता के अनुरूप संबंधित जिले के लिये मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक अपने क्षेत्राधिकार के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों के लिये अधिकृत होंगे किन्तु फ्री-होल्ड की अनुमति जारी करने के पूर्व संचालक, उद्योग संचालनालय से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा। अन्य प्रकरणों में फ्री-होल्ड की कार्यवाही नियमावली के परिशिष्ट-6 में वर्णित सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं किये जायेंगे।
- (6.2) **सीएसआईडीसी :-** निगम के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में स्थापित इकाईयों के लिये **छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015 के परिशिष्ट-6** में वर्णित अधिकारिता के अनुरूप मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक अधिकृत होंगे किन्तु अनुमति जारी करने के पूर्व प्रबंध संचालक से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा। अन्य प्रकरणों में फ्री-होल्ड की कार्यवाही नियमावली के परिशिष्ट-6 में वर्णित सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं किये जायेंगे।

(7) लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने हेतु देय राशि गणना :-

इकाईयों को आबंटित भूमि को लीज होल्ड से फ्री-होल्ड किये जाने पर निम्नानुसार राशि का भुगतान करना होगा :-

- (7.1) ऐसे आबंटी जिनको भूमि आबंटन के पश्चात् उत्पादन प्रारंभ करके 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम समय पूर्ण हो चुका हो, को फ्री-होल्ड आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक पर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र (चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों) हेतु लागू प्रब्याजी की दर के 45 प्रतिशत के बराबर राशि (यथा लागू कर अतिरिक्त) फ्री-होल्ड परिवर्तन शुल्क के रूप में देय होगी।

(7.2) ऐसे आबंटी जिनको भूमि आबंटन के पश्चात् उत्पादन प्रारंभ करके 20 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम समय पूर्ण हो चुका हो, को फ्री-होल्ड आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक पर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र (चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों) हेतु लागू प्रब्याजी की दर के 35 प्रतिशत के बराबर राशि (यथा लागू कर अतिरिक्त) फ्री-होल्ड परिवर्तन शुल्क के रूप में देय होगी।

(7.3) ऐसे आबंटी जिनको भूमि आबंटन के पश्चात् उत्पादन प्रारंभ करके 30 वर्ष से अधिक समय पूर्ण हो चुका हो, को फ्री-होल्ड आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक पर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र (चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों) हेतु लागू प्रब्याजी की दर के 25 प्रतिशत के बराबर राशि (यथा लागू कर अतिरिक्त) फ्री-होल्ड परिवर्तन शुल्क के रूप में देय होगी।

(7.4) लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने हेतु देय राशि की गणना के अंतर्गत बिन्दु क्रमांक (7.1), (7.2), (7.3) में दर्शायी गयी फ्री होल्ड परिवर्तन शुल्क की दर अनुसूचित जनजाति/जाति के पट्टा धारियों के मामले में क्रमशः प्रत्येक बिन्दु में अंकित राशि के 25 प्रतिशत के बराबर ली जावेगी।

(8) अपील / वाद -

(8.1) इन नियमों के अंतर्गत किसी विवाद की स्थिति में अपर संचालक, उद्योग संचालनालय, /कार्यपालक संचालक, सीएसआईडीसी /मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सीएसआईडीसी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ /प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी (यथा लागू) के समक्ष एवं आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/ प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी (यथा लागू) द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी। यदि किसी प्रकरण में अपील प्रस्तुत किये जाने में विलंब होता है तो भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ऐसे विलंब को विचारोपरांत शिथिल करने पर विचार एवं निर्णय कर सकेगा।

(8.2) इन नियमों के अंतर्गत कोई भी अपील शुल्क रुपये 5000/- (यथा लागू कर अतिरिक्त) का भुगतान प्रत्येक स्तर पर करने पर ही स्वीकार होगी। विलंब से प्राप्त होने वाली अपील हेतु मूल अपील शुल्क से दो गुना अपील शुल्क देय होगा।

(8.3) अनुसूचित जाति/जनजाति, निःशक्त/नक्सलवाद से प्रभावित परिवार/व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा।

(9) स्वप्रेरणा से निर्णय :-

इन नियमों के विरुद्ध भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग कोई भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु, किसी आदेश को निरस्त करने, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा। शासन का निर्णय अंतिम होगा, जोकि सभी प्रभावित पक्षकारों के लिए बंधनकारी होगा।

(10) इस नियम के अन्तर्गत कोई भी वाद छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालयों में ही दायर किया जा सकेगा।

(11) इन नियमों के अर्तगत यथा आवश्यकता पात्रता, व्याख्या या अन्य विवाद की दशा में छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षकारों के लिए बंधनकारी होगा।

(12) नियमों से संबंधित कठिनाईयां एवं समस्याओं का निराकरण :-

इन नियमों के क्रियान्वयन हेतु अन्य सुसंगत आवश्यक निर्देश/कार्यकारी आदेश, मार्गदर्शन तथा संबंधित कठिनाईयां एवं समस्याओं का निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा किया जावेगा। यथाआवश्यक उद्योग हित में नियमों में परिवर्तन/संशोधन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

उपाबंध -1**Free Hold Document****(For conversion of Lease Hold Rights to Free Hold Rights)****Under Chhattisgarh Aoudhyogik Boomi Evam Bhawan Prabandhan Niyam-2015****(See Rule 2.13)**

Provider	The Governor of Chhattisgarh Through – Chief General Manager/General Manager, District Trade and Industries Centre/Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited,
Receiver	M/S ----- Through Proprietor/Partner/Director SHRI ----- S/O SHRI ----- Resident ----- -----
Location of land/Name of Industrial Area	Industrial Area ----- District ----- (C.G.)
Plot No./Khasra No.	Plot No.-----, (Khasra No. -----) (P.H.No.-----)
Area (in Square Meter/ Hectares) with size, width, breadth (Map with such measurement of be enclosed)	-----Acre/ Square Meter/ Hectares (Strike Out which is not applicable)

- (1) That a Lease Deed between the Governor of Chhattisgarh acting through **Chief General Manager/General Manager, District Trade and Industries Centre/Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited**, (hereinafter referred to as '**Earlier Lessor**') and M/S -----, (hereinafter referred to as '**Earlier Lessee**') was executed on -----and registered in Registrar Office at District ----- vide Registration No.----- Dated ----- for Plot No.----- situated at Industrial Area ----- for a period of ----- years commencing from ----- & ending on ----- for the purpose of Establishing thereon an

Industry for the Manufacturing of ----- and ancillary purpose thereto (**Hereinafter referred to as the said Lease Deed**).

- (2) That Government of Chhattisgarh vide its Notification No.F 20-47/2013/11/(6) dated 31.10.2019 has allowed Industries for conversion of Lease hold rights to Free hold rights subject to conditions as referred in the Notification.
- (3) That the Earlier Lessee fulfill the conditions for free hold as per Notification dated 31.10.2019 (as ammended from time to time) and has submitted its consent to abide by the rules through an Affidavit.

Now, this agreement witnesses as follows :-

This Agreement is made on this _____ day of _____ year _____ between the Governor of Chhattisgarh acting through **Chief General Manager/General Manager, District Trade and Industries Centre/Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited, OR Additional Director, Directorate of Industries Chhattisgarh/ Executive Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited**, (herein after called the '**PROVIDER**') which expression shall, where the context so admits, include his successor, of the one part.

And

SHRI ----- Age ----- **S/O SHRI** ----- **R/o** -----
----- acting for **M/S** -----, as
Proprietor/Partner/Director, (hereinafter called the '**RECEIVER**') which expression shall where the context so admits include this successor and permitted assigns of the other part.

Whereas the Receiver representing that the Said Lease is still valid and Receiver has applied to the Provider to the said Property lease out to him under the said lease deed to the extent of its permanent, transferable and heritable rights and the Provider has agreed to Free Hold such interest /rights of the said property subject to the terms and conditions appearing hereinafter.

Now , this agreement witness that in consideration of the sum of Rs.
(Rupees.....) paid as conversion fees before the execution hereof (the receipt whereof the Provider hereby admits and acknowledges) the aforesaid representation and subject to the intimation mentioned hereinafter the Provider doth hereby grants, conveys, releases and transfer, assigns and assures unto the aforesaid Receiver the permanent, transferable and heritable rights in the respect of the land situated in Plot No.....in Industrial

area District (Hereinafter referred to as said property) more fully described in the scheduled hereunder to have and to hold the same unto the Receiver with permanent heritable and transferable rights, subject to the exceptions, reservation covenants and conditions hereafter contained, that is to say, as follows :-

1. It is agreed upon that the Free Hold Rights of the Said Land/ Building is being granted to the Receiver for the operations of Business as referred to in the earlier Lease Deed or such other purposes as are permissible, under the provisions of the "**Chhattisgarh Audhyogik Bhoomi Evam Bhawan Prabandhan Niyam 2015(As amended from time to time)**" (as applicable and amended from time to time) issued by the Government of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the "**Said Rules**").
2. That notwithstanding execution of this agreement use of the said land in the contravention of the provisions of the said rules shall entitle the Provider to take appropriate actions for such contravention as per the provisions of the said rules or any other laws for the time being in force.
3. The Receiver having paid the following amount to the Provider for the said land:-

S. No.	Head	Rate	Total Value		
			In figures		In words
1	Advance Annual Maintenance Charges	@ 2.5 % of Effective Premium	Rs.		(Rupees ----- only)
2	Development charges (if applicable)	@ Rs..... Lacs per hectare	Rs.		Nil
3	Street Light Charges, as applicable	@ Rs.15,000 Per Hectare	Rs.		(Rupees ----- only)
4	G.S.T. (1) CGST (2) SGST (G.S.T. on Maintenance and Street Light)	@ 9 %	Rs.		(Rupees ----- only)
		@ 9 %	Rs.	-	
5	Total		Rs.		

4. Thereafter, the Receiver shall pay to the Provider the Annual Charges as given below:-
 - 4(a) Annual Maintenance Charges as fixed by the Provider and subject to revision in the rates, from time to time, by the Provider, as per the provisions of Rule 2.5.4 of the

“Said Rules” and after the revision, the amount as revised shall be payable by the Receiver from time to time .

- 4(b) Annual Street Light charges as Fixed by the Provider and subject to revision in the rates, from time to time, by the Provider, and after the revision, the amount as revised shall be payable by the Receiver from time to time.
- 4(c) **G.S.T. (Goods and Service Tax)** and/or other statutory taxes/cess as applicable from time to time shall be payable by the Receiver from time to time.
5. The determination of maintenance charges by the Provider and levied on the Receiver will be on the basis of the size of the allotted land as per **“Said Rule”** which can be revised as per **“Said rule”** and same shall be payable by the Receiver from time to time as per **“Said Rule”**.
6. The Maintenance charges and Street Light charges which are determined will be reviewed every year by the Provider and may or may not be revised. However, at the end of three year period the rates will be revised and increased by the Provider.
- Due to any reason, whatsoever, if the revision of maintenance charges is not undertaken by the Provider within the stipulated period of three years, the maintenance charge rates will be deemed to increase as per **“Said Rule”** and accordingly shall be payable by the Receiver from time to time.
7. The Receiver hereby agrees to pay the annual charges at the rates as are fixed/may be revised, as per Clause 4 above, from time to time and such other sum as may be determined in accordance with the **“Said Rule”** together with the applicable taxes and cess, and shall be payable on or before 10th of April every year through the online system of the Provider or through such other medium, at such place or places as the Provider may direct from time to time, even if no separate demand is raised in this regards.

Provided that, if the yearly/monthly charges as above of the land/building of Industrial Area or any part thereof is not paid within one month after the date prescribed by the Provider the same will have to be deposited with simple interest @ 18% per annum.

8. Any amendment in the Agreement, amendment charges will be INR 1000 for micro industry, INR 2000 for small industry. After the amendment of the Agreement, the maintenance charges applicable will be revised as per the then prevalent premium rates.

9. All sums, such as due amount of maintenance charges or any other charges imposed by the Provider may be recovered as arrears of land revenue if the same not paid on or before the due date.
10. If the Annual Charges (Sums Payable under clause 4 & 5 of this deed) hereby fixed or any part there of shall at any time be in arrears and unpaid for one year, after the due date whereon the same shall have become due, whether the same shall have been lawfully demanded or not or the Receiver becomes insolvent and/or goes into liquidation voluntarily or otherwise or if there be any attachment on the said premises or there is a breach or non-observance by the Receiver of any of the conditions and covenants therein contained and the Receiver fails to remedy the breach within sixty days of the notice in writing given by the Provider or becomes insolvent or enters into an agreement with his creditors for composition of the business, this Agreement will be deemed to have been terminated and the Provider may, notwithstanding the waiver of any previous dues, take recourse to right of re-entry without prejudice to any right or remedy of the Provider for recovery of Annual charges remaining due under the Agreement upon the said land/premises and reposes the same, as if this demise had not been made.
11. The Receiver shall, at all times, comply with all the Acts, Rules and Regulations of State Government/Central Government/Local Bodies/ any other competent authority, in force from time to time, which are or may be, applicable for the operation of the said industry.
12. The "Receiver" shall be responsible to ascertain that no offensive or illegal activities or business or any activity as per list mention in Annex-3 of the "Said Rules" in the Free Hold land/Shed, failing which, action for cancellation of Free Hold Rights will be initiated against the Receiver.
13. If it is discovered at any stage that this agreement has been obtained by suppressions of any faith or by any mis-statement, mis-representation or fraud, then this agreement shall become void at the option of the Provider, who shall have the right to cancel this Agreement at forfeited the conversion charges paid by the Receiver. The decision of the Provider in this regard shall be final and binding upon the Receiver and shall not be called in question in any proceedings.
14. The Receiver shall be liable for complying with all the environment protection measures as per the Laws/Rules applicable in this regards and shall not do anything which may adversely affect the environment. The Receiver, at his own cost, shall also undertake the plantation in at least 10% of the land allotted to him, and shall also be responsible for maintaining the same.

Provided that the Receiver shall take prior permission from Competent Authority for cutting the trees, if at all necessary, subject to a condition that the minimum area of plantation shall not reduced to less than 10% as aforesaid.

15. The Receiver shall use the said premises, land and building structures and works erected or constructed thereon only for the purpose of the **industrial activity** stated herein above and shall not use the same or any part thereof or permit it to be used for any other purpose by himself or anyone else without the prior permission in writing from the Provider.

Provided that the Receiver may be allowed to change an activity under the same purpose after obtaining permission of the Provider subject to a condition that the Receiver shall make the payment of difference of amount of maintenance, streetlight and other charges together with applicable taxes which may be applicable in such cases. However, Agreement shall be liable to be terminated if land/shed is utilized for any purpose, other than the purpose for which it is allotted, without the prior permission in writing of the Provider.

16. The Receiver shall, at his own expenses, forthwith erect and at all times maintain, repair and keep in good condition, all boundary marks and pillars along with the boundaries of the said land according to the demarcation shown in the plan hereto annexed. The Receiver shall keep the said premises, land and building erected thereon secure and in good condition following proper maintenance and upkeep at his own cost. The Receiver shall also develop his own parking arrangements on the land/building allotted and shall not allow the parking on the road.
17. The Receiver, at his own cost and expenses, shall paint or affix its name, constitution, address, size of the plot, product/s of the said industry, telephone number/s, name and contact number of the Manager/ In-charge of factory/Premises, alongwith emergency telephone numbers of the locality in Hindi as well as English language, in sufficient size preferably 4'x10' size board and shall keep the same legible, at all time, in a conspicuous position.
18. The Receiver shall not dig well or tube well in the premises without the written permission of the Authority competent in this regards under intimation to the Provider in writing.

Provided that no such digging/boring will be allowed in an industrial area in which the Provider or any other person or agency authorised by the Provider, is operating, or proposes to operate water supply scheme and it will be obligatory for the Receiver to draw water from such supply system of the Provider/authorised person or agency as per prevailing terms and conditions.

19. The Receiver also agrees that while using the said land/premises, if any harm or injury, of whatsoever nature, is caused to any person/fellow Allottees/Receivers, he shall be liable to pay compensation or damages to the affected out of his own pocket, failing which suitable action, as deemed fit, will be liable to be initiated.
20. The Provider shall not be liable to compensate any loss on account of any accident occurred or damage caused to other persons due to the operations being carried out by the Receiver.
21. The Receiver shall continuously run the industrial activity and produce the products mentioned in Agreement for which the land/premises is Free Hold. Due to non production activity for a continuous period exceeding six months without any appropriate reason, Free Hold land/premises shall be liable to be cancelled as per 'Said Rules. The appropriateness of the reason shall be decided by the Provider and his decision shall be final and binding upon the Receiver.
22. On termination of the Agreement due to breach of any conditions of the Agreement, the Provider shall have the right of re-entry over the land/premises. No refund of conversion fees & security deposit shall be admissible due to the termination of the Agreement under such condition.
23. The development and maintenance works in the Industrial Area will be done by the Provider according to its plan which will be done as early as possible. Any non-execution or non-completion of any kind of development and maintenance works or non-availability of any facility in area allotted to the Receiver, shall not entitle the Receiver to raise objection or to withhold payment of maintenance charges or any other charges due and payable to the Provider or to claim compensation of any kind whatsoever in this connection.
24. Consequent upon the infringement/breach of any of clauses of this Agreement by Receiver the Provider have the rights to terminate the agreement without any notice.
25. Upon breach or non-observance by Receiver of any of the terms and conditions herein contained, it shall be lawful for the Provider to forfeit the Conversion charges without prejudice to any other right or remedy of the Provider to resume the possession of the said land/premises as per "Said Rule".
26. The security deposit, unless forfeited as aforesaid and after deducting all such sums as may be due to and recoverable by the Provider under this Agreement shall be returned to the Receiver after termination of the Agreement by efflux of time or otherwise.

27. The allotting authority to which the powers for the permission of Free Hold Rights have been delegated will also have the right of cancellation of conversion order and be competent to terminate the Agreement on behalf of the Provider.
28. The Receiver shall not restrict the entry of the Provider or any person authorized by him, in the premises and shall be bound to provide all information in writing relating to said industry sought by the Provider or any person so authorised by the Provider.
29. The Receiver shall furnish to the Provider information required to ascertain the continuance of industrial activity, some of them may be copies of its income tax return, balance sheet and profit and loss account, annual return filed with Registrar of Companies, EPF returns, Commercial tax returns (or by whichever name, it is known) on or before 31st December each year.
30. The Receiver, in case of allotment of land outside Industrial Area, shall have to comply with all the terms and conditions mentioned in Land Acquisition Award passed by Land Acquisition Officer.
31. The Receiver shall bear all costs and expenses incurred or which may be incurred for preparation, execution and registration of this Agreement or amendments in Agreement, if any, as per prevailing rules and regulations.
32. The Receiver will have to execute the Agreement, get the same registered with Registrar Office and submit certified copy of the Agreement to the Provider.
33. This Agreement is not applicable for industrial activities deemed ineligible as per "Said Rule" section 2 schedule 2.1.1 (B) (As amended from time to time).
34. Pursuant to the "Said Rule " section 3 schedule 3.2.4.4 and 3.2.4.5 if the said unit is auctioned by the bank/financial institution, buyer must apply for amendment in the Agreement within 90 days of the transfer of ownership of the auctioned unit. Subsequent to that the auction purchaser shall have to execute the Agreement as per "Said Rule".

In case the buyer fails to execute the Agreement within the stipulated 90 day period, he/she will have no rights to the land/shed as described in the Agreement and the Provider can allot the land/shed to any other applicant as per the prevalent regulations and rules at that time.

35. It is further declared that as a result to this Agreement, Receiver from date of Registration of this Agreement will become owner of the said property with permanent, transferable and heritable rights and the Lease Deed for lease of the land earlier executed with the Receiver on behalf of the Provider both hereby releases the Receiver from all liabilities in respect of the covenants and conditions contained in the Said Lease Deed required to be observed by the Receiver of the Said Land.
36. In the event of any dispute arising between the parties in respect of the Agreement or any other matter whatsoever connected therewith the Hon'ble High Court of Chhattisgarh; Bilaspur and Hon'ble Supreme Court shall have the jurisdiction.

SCHEDULE

NAME OF INDUSTRIAL AREA :

NAME OF VILLAGE :

NAME OF TEHSIL :

NAME OF DISTRICT :

PLOT NO. :

KHASRA NO. :

P.H. NO. :

SIZE OF PLOT :

SURROUNDED BY

ON NORTH :

ON SOUTH :

ON EAST :

ON WEST :

Above details shown in the annexed plan

In witness whereof the parties hereto have signed this deed on the date and year respectively mentioned against their signature:-

Signature For and on behalf of the Provider

Name : -----

Designation:

Chief General Manager/ General Manager

District Trade and Industries Centre/Chhattisgarh

State Industrial Development Corporation Limited

WITNESS :-

1 Signature

Name

Address

2. Signature

Name

Address

Signature For and On behalf of Receiver M/S -----

Name : -----

Capacity - -----

Address: -

WITNESS :-

1 Signature

Name

Address

2. Signature

Name

Address

उपाबंध -2**NO OBJECTION CERTIFICATE**

(To be issued by the Bank/Financial Institution where the
property is under mortgage)

Details of land under mortgage

Name of Industrial Area _____

Allotted Area _____ Sq.ft./Acres/ Sq.Meter./ Hactare

District _____

This certificate is issued in favour of the allottee/lessee intimating District Trade & Industries Centre/CSIDC in respect of lease plot specified above that the mortgagor Bank has no objection if the leasehold rights of the lessee is converted to free-hold status and Lease Deed executed with lessor is registered in the office of Sub-Registrar and Registered Lease Deed is handed over to the lessee. The Bank owns the responsibility of collecting and retain the original registered Lease Deed from the mortgagee and send the original registered lease deed to District Trade & Industries Centre/CSIDC by **Registered Post**.

Authorised Signatory

Bank _____

Branch _____

उपाबंध -3**छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015****के अंतर्गत****औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में आबंटित भूमि को****लीज होल्ड से फ्री-होल्ड किये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप**

आवेदक की स्वप्रमाणित फोटो

अ	आवेदक/इकाई का विवरण	
1	इकाई का नाम	
2	आवेदक का नाम एवं पता	
3	मोबाईल नंबर	
4	इकाई का संगठन :- प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप/प्राईवेट लिमि./पब्लिक लिमि/को-आपरेटिव	
ब	आबंटित भूमि का विवरण	
1	औद्योगिक क्षेत्र का नाम एवं जिला	
2	भूखण्ड क्रमांक	
3	निष्पादित पट्टाभिलेख अनुसार आबंटित भूमि का रकबा (एकड़/हेक्टेयर में)	
4	लीज डीड निष्पादन दिनांक	
5	उत्पादन दिनांक (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र अनुसार)	

स	निष्पादित पट्टाभिलेख एवं पंजीयन की जानकारी		
	1	निष्पादित पट्टाभिलेख का दिनांक	
	2	पंजीयक कार्यालय में पट्टाभिलेख के पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक	
	3	भूमि का आधिपत्य दिनांक एवं रकबा	
द	पट्टाभिलेख के अभिहस्तांकन की जानकारी		
	1	क्या निष्पादित पट्टाभिलेख किसी बैंक/ वित्तीय संस्था में अभिहस्तांकित है ?	
	2	यदि हाँ, तो बैंक/ वित्तीय संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र का दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)	
ई	सकल पूंजीगत लागत		
	1	भूमि का मूल्य/प्रीमियम	
	2	शेड/भवन	
	3	प्लांट एवं मशीनरी	
	4	विद्युत आपूर्ति में निवेश	
	5	जल आपूर्ति में निवेश	
	कुल योग		
	सत्यापन हेतु निवेश के विषय में सीए एवं सीई का प्रमाण पत्र उपाबंध -09 एवं 10 अनुसार संलग्न करें ।		
फ	उत्पादन की जानकारी (कृपया उपाबंध -04 में दिये गये प्रपत्र अनुसार पूर्ण करें)		
	रोजगार की जानकारी		
	श्रम वर्ग	इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों में से राज्य के मूल निवासियों की संख्या

	1	अकुशल वर्ग		
	2	कुशल वर्ग		
	3	प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग		
ज	अन्य जानकारीयां			
	1	फैक्ट्री ले-आऊट की अनुमति का दिनांक		
	2	आवेदित भूमि के संबंध में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण की जानकारी		
	3	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र / सीएसआईडीसी को बकाया राशि की जानकारी		
	4	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 अंतर्गत भू-राजस्व के पुनर्निर्धारण की जानकारी		
ह	आवेदन शुल्क की जानकारी			
		रसीद क्रमांक एवं दिनांक		
उ	शपथ पत्र उपाबंध-10 निष्पादित करने वाले प्रतिनिधि का नाम, पता एवं इकाई में पदनाम (कृपया अधिकार पत्र भी संलग्न करें)		संलग्न है / नहीं	
ल	Indemnity Bond उपाबंध-11 निष्पादित करने वाले प्रतिनिधि का नाम, पता एवं इकाई में पदनाम			
				हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता / आवेदनकर्ताओं का नाम :				
पदनाम :				
औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता				

(नोट - भागीदारी फर्म होने पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर अनिवार्य है।)

सत्यापन

मैं _____, उम्र _____ वर्ष
 प्रोपराईटर/पार्टनर/संचालक मेसर्स _____
 सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र के समस्त बिन्दुओं एवं उत्पादन के संबंध में
 परिशिष्ट-1 में दी गई जानकारी मेरे स्वज्ञान, विश्वास में सत्य, सही हैं। अतः आज दिनांक
 _____ को अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित करता/करती हूँ ।

रायपुर

दिनांक / / 20.....

		हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता/आवेदनकर्ताओं का नाम :		
पदनाम :		
औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता		

उपाबंध -4**आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं विवरण :-**

- 1) निष्पादित पट्टाभिलेख की मूल प्रति।
- 2) पार्टनरशिप फर्म होने पर फर्म पंजीयन एवं/पार्टनरशिप डीड की प्रति
- 3) पार्टनरशिप फर्म/कंपनी होने पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हेतु अधिकार पत्र/बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- 4) निर्धारित प्रपत्र में बैंक/वित्तीय संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 5) स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र/ EM Part-II/उत्पादन प्रमाण पत्र/ की प्रति।
- 6) आवेदन शुल्क की रसीद की प्रति।
- 7) निर्मित क्षेत्र हेतु संबंधित विभाग द्वारा जारी की गयी अनुमति की प्रति।
- 8) भूखण्ड आधिपत्य प्रमाण पत्र की प्रति।
- 9) आवेदन दिनांक तक निवेश सत्यापन हेतु सीए प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में उपाबंध-8 अनुसार।
- 10) आवेदन दिनांक तक निर्माण/मशीनरी स्थापना सत्यापन हेतु सी ई प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में -उपाबंध-9 अनुसार।

11) विगत 10/20/30 वर्षों में किये गये उत्पादन एवं विद्युत खपत की जानकारी :-

क्र.	वर्ष	उत्पादन	विक्रय	विद्युत खपत	जमा किये गये विभिन्न कर

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता का नाम :

पदनाम:

औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता

उपाबंध -5

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015

औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में आबंटित भूमि को
लीज होल्ड से फ्री-होल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में

निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के संबंध में जानकारी		
1	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	
2	पदनाम	
3	स्थल निरीक्षण का दिनांक	
4	इकाई का नाम	
5	निरीक्षण के समय कंपनी की ओर से उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी का नाम	
आबंटित भूखण्ड के संबंध में जानकारी		
6	औद्योगिक क्षेत्र का नाम एवं जिला	
7	भूखण्ड क्रमांक	
8	निष्पादित पट्टाभिलेख अनुसार आबंटित भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
9	लीज डीड निष्पादन दिनांक	
10	लीज डीड का पंजीयन दिनांक	
11	भूमि का आधिपत्य दिनांक	
12	सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन अनुज्ञा का क्रमांक एवं दिनांक	
13	इकाई को आबंटित भूखण्ड का प्रयोजन	
14	उत्पादन प्रमाण पत्र का क्रमांक	
15	उत्पादन दिनांक (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र अनुसार)	
16	बी.पी. क्रमांक (विद्युत उपभोक्ता क्रमांक)	
17	विद्युत कनेक्शन का दिनांक एवं संयोजित भार	
उत्पाद की जानकारी		
	उत्पाद का नाम	क्षमता

आवेदक द्वारा परिशिष्ट-4 में उत्पादन संबंधी जानकारी को निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जावेगा।

आबंटित भूमि पर निर्मित क्षेत्रफल की जानकारी (वर्गमीटर में)		
1	फैक्ट्री शेड/भवन	
2	कच्चे माल हेतु गोडाऊन	
3	प्रशासकीय भवन	
4	चौकीदार भवन	
5	अन्य निर्मित क्षेत्र	
6	कुल निर्मित क्षेत्र	
आबंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी		
रोजगार की जानकारी		
श्रम वर्ग	इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों में से राज्य के मूल निवासियों की संख्या
1 अकुशल वर्ग		
2 कुशल वर्ग		
3 प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग		

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
उपस्थित कर्मचारी का नाम	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम
पदनाम :	पदनाम :
इकाई का नाम	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र / सीएसआईडीसी, रायपुर

निरीक्षणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

उपाबंध -6**कार्यालय का नाम**

क्रमांक ———/———/———/2020/———

रायपुर, दिनांक ———

:: सैद्धान्तिक सहमति पत्र ::

प्रति,

मेसर्स —————

—————

—————

विषय : लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने की सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में।**संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक ————— दिनांक —————**

महोदय,

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक ————— दिनांक ————— द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम-2015 के नियम 2.13 के प्रावधानानुसार लीज होल्ड भूमि को फ्री-होल्ड करने हेतु जारी नियम -2019 के नियम ————— में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित तालिका में वर्णित भूमि को फ्री-होल्ड करने की अनुमति एतद् द्वारा बिन्दु क्रमांक ————— से बिन्दु क्रमांक ————— में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है :-

1	औद्योगिक क्षेत्र का नाम एवं जिला	
2	भूखण्ड क्रमांक	
3	भूखण्ड का रकबा (हेक्टेयर में)	
4	भूखण्ड की चौहदी	
	पूर्व में	
	पश्चिम में	
	उत्तर में	
	दक्षिण में	

(1) **फ्री-होल्ड हेतु शर्तें :-**

- (1.1) इकाई के द्वारा फ्री-होल्ड की गई भूमि का केवल औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जावेगा।
- (1.2) इकाई को फ्री-होल्ड हेतु जारी आदेश दिनांक से 30 दिवस में अनुबंध निष्पादित कर पंजीयक कार्यालय से पंजीयन कराकर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- (1.3) इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष 10 जनवरी तक संधारण शुल्क एवं अन्य शुल्क की राशि का भुगतान किया जाना होगा।
- (1.4) इकाई को शासन के अन्य सभी विभागों से संबंधित/लागू नियमों का पालन किया जाना होगा।
- (1.5) इकाई के द्वारा आबंटित भूमि के अनुमोदित मानचित्र के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- (1.6) इकाई के द्वारा समयावधि में निष्पादित अनुबंध का पंजीयन नहीं कराने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (1.7) इकाई के द्वारा पंजीकृत अनुबंध की अभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के दिनांक से फ्री-होल्ड प्रभावशील होगा।

(2) इकाई को आदेश दिनांक से 07 दिवस में उपरोक्त शर्तों के संबंध में सहमति पत्र नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत करना होगा।

(3) यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20 ———/2019/11(6) दिनांक ——— द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम-2015 के अंतर्गत लीज होल्ड भूमि को फ्री-होल्ड करने हेतु नियम-2019 के अधीन है।

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक

सीएसआईडीसी/

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

रायपुर, दिनांक ———

पृ.क्रमांक ———/———/———/2020/———

प्रतिलिपी :-

संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रिंग रोड नंबर-1, रायपुर (छ.म.)

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक

उपाबंध -12

“छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015 के अंतर्गत लीजहोल्ड भूमि को फ्री-होल्ड करने हेतु नियम-2019” के अंतर्गत

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र एफ 20-47/2019/11/8 दिनांक सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत)

आदेश

क्रमांक

दिनांक.....

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित “छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत लीजहोल्ड भूमि को फ्री-होल्ड करने हेतु नियम-2019” के अंतर्गत के नियम क्रमांक “6” के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार भूखंड क्रमांक को फ्री-होल्ड करने की अनुमति एतद् द्वारा जारी की जाती है।

अ आवेदक/इकाई का विवरण		
1	इकाई का नाम	
2	आवेदक का नाम एवं पता	
3	मोबाईल नंबर	
4	इकाई का संगठन :- प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप/प्राइवेट लिमि./पब्लिक लिमि/को-आपरेटिव	
ब आबंटित भूमि का विवरण		
1	औद्योगिक क्षेत्र का नाम एवं जिला	
2	भूखण्ड क्रमांक	
3	निष्पादित पट्टाभिलेख अनुसार आबंटित भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
4	लीज डीड निष्पादन दिनांक	

5	उत्पादन दिनांक (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र अनुसार)	
स	निष्पादित पट्टाभिलेख एवं पंजीयन की जानकारी	
1	निष्पादित पट्टाभिलेख का दिनांक	
2	पंजीयक कार्यालय में पट्टाभिलेख के पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक	
3	भूमि का आधिपत्य दिनांक एवं रकबा	
छ	पट्टाभिलेख के अभिहस्तांकन की जानकारी	
1	क्या निष्पादित पट्टाभिलेख किसी बैंक/ वित्तीय संस्था में अभिहस्तांकित है ?	
2	यदि हाँ, तो बैंक/वित्तीय संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र का दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)	

2 - यह स्वीकृति इन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक अधिसूचना क्र एफ 20-47/2019/11/6 दिनांक सितम्बर, 2020 द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत लीजहोल्ड भूमि को फ्री-होल्ड करने हेतु नियम-2019" के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा एवं कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्तीकरण योग्य होगा ।

दिनांक -

स्थान -

पृ. क्रमांक

दिनांक.....

प्रतिलिपि -

(1)

(2)

(3)

उपाबंध -9

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण-पत्र का प्रारूप)

(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

(इन नियमों के बिंदु क्रमांक - के अंतर्गत प्रावधानित)

मेसर्स..... (इकाई का नाम) जिसका पंजीकृत पता है एवं कारखाने का पता जो कि छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग संचालनालय के नियंत्रणाधीन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय / सीएसआईडीसी द्वारा नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क..... जिला..... के भूखण्ड क्रमांक..... में स्थित है, एवं इकाई को आबंटन आदेश क्रमांक दिनांक..... के द्वारा भूमि/भूखण्ड क्रमांक रकबा वर्गमीटर/वर्गफुट/एकड़/हेक्टेयर (जो लागू नहीं हो वह काट दिया जावे) आबंटित है। उपरोक्त इकाई दिनांक से उत्पादनरत है। इस विषय में इकाई द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र यथा-स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र/ईएमपार्ट-2/उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... दिनांक (प्रतिलिपि संलग्न) धारण किया जा रहा है।

उपरोक्त इकाई द्वारा उपरोक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित परियोजना के विरुद्ध निम्नलिखित मदों के समक्ष दर्शित अनुसार पूंजी निवेश..... दिनांक तक किया गया है। इकाई द्वारा स्थायी पूंजी निवेश मदों में रुपये की लागत को निम्नलिखित तालिका में दर्शित अनुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन के लेखा पुस्तकों/बिल बाउचर/भुगतान से संबंधित अभिलेखों के मिलान व सत्यापन के पश्चात् किया गया है :-

क्र०	विवरण	पट्टाभिलेख दिनांक के द्वारा आबंटित भूमि रकबा के संबंध में फ्री होल्ड करने संबंधी आवेदन से पूर्व पूर्ण माह किया गया (दिनांक) तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश रूपयों में
1.	2.	3.
1.	भूमि - (भूमि का रकबा)	
	भूमि का कुल मूल्य	
	वास्तविक क्रय मूल्य/प्रीमियम	
	मुद्रांक + पंजीयन शुल्क	
2.	आबंटित भूमि पर निर्मित भवन, शेड एवं अन्य -	

	फेक्ट्री भवन, शेड आदि	
	प्रयोगशाला, अनुसंधान भवन	
	प्रशासकीय भवन	
	माल गोदाम वेयर हाउस आदि	
	कन्टीन, श्रमिक विश्राम कक्ष आदि	
	सिक्कूरिटी पोस्ट, वाहन स्टेण्ड आदि	
	अन्य भवन	
3	प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित)–	
	प्लांट एवं मशीनरी	
	प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र, प्रयोगशाला एवं अनुसंधान संयंत्र एवं उपकरण में निवेश	
	परीक्षण उपकरण	
	अन्य संयंत्र व मशीनरी	
4	विद्युत आपूर्ति निवेश –	
	आंतरिक विद्युतीकरण,	
	बाह्य विद्युतीकरण	
	स्ट्रीट लाईट व्यवस्था,	
	विद्युत उपकेंद्र	
	केप्टिव विद्युत संयंत्र	
5	जल आपूर्ति निवेश, ओवर हेड टैंक, पंप हाउस, पाईप लाईन, रेन वाटर हार्वैस्टिंग आदि	
6	अन्य स्थायी निवेश	
7		
8		
	महायोग	

स्थान :

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता

दिनांक

सील

हस्ताक्षर

सदस्यता क्रमांक

उपाबंध -10

(चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का प्रमाण-पत्र का प्रारूप)

(लेटर हैड पर)

(इन नियमों के बिंदु क्रमांक - के अंतर्गत प्रावधानित)

मेसर्स..... (इकाई का नाम) जिसका पंजीकृत पता है एवं कारखाने का पता जो कि छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग संचालनालय के नियंत्रणाधीन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र..... कार्यालय / सीएसआईडीसी द्वारा नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क..... जिला..... के भूखण्ड क्रमांक..... में स्थित है, एवं इकाई को आबंटन आदेश क्रमांक दिनांक..... के द्वारा भूमि/भूखण्ड क्रमांक रकबा वर्गमीटर/वर्गफुट/एकड़/हेक्टेयर (जो लागू नहीं हो वह काट दिया जावे) आबंटित है। इस विषय में इकाई द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र यथा - स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र/ईएमपार्ट-2/उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक (प्रतिलिपि संलग्न) धारण किया जा रहा है।

उपरोक्त इकाई के द्वारा भूखण्ड पर/परियोजना स्थल पर किये गये सिविल निर्माण में निम्नलिखित तालिका में दर्शित अनुसार मदों के समक्ष दर्शित अनुसार दिनांक तक पूंजी निवेश किया गया है। यह प्रमाणन/सत्यापन स्थल निरीक्षण उपरांत मेरे द्वारा किया गया जा रहा है। इस हेतु इकाई के लेखा पुस्तकों/बिल बाउचर/भुगतान तथा स्थल पर किये गये वास्तविक निर्माण कार्यों सत्यापन के पश्चात् किया गया है। अधोसंरचना लागत/सिविल निर्माण मदों में हुए वास्तविक निवेश को निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है -

क्र०	विवरण	पट्टाभिलेख दिनांक के द्वारा आबंटित भूमि रकबा के संबंध में फ्री होल्ड करने संबंधी आवेदन से पूर्व पूर्ण माह किया गया (दिनांक) तक अधोसंरचना लागत/सिविल निर्माण मदों में किया गया स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में)
1.	2.	3.
1.	भूमि - (भूमि का रकबा)	
	भूमि का कुल मूल्य	
	वास्तविक क्रय मूल्य/प्रीमियम	

	मुद्रांक + पंजीयन शुल्क	
2.	आबंटित भूमि पर निर्मित भवन, शेड एवं अन्य -	
	फैक्ट्री भवन, शेड आदि	
	प्रयोगशाला, अनुसंधान भवन	
	प्रशासकीय भवन	
	माल गोदाम वेयर हाउस आदि	
	केन्टीन, श्रमिक विश्राम कक्ष आदि	
	सिक्यूरिटी पोस्ट, वाहन स्टेण्ड आदि	
	अन्य भवन	
3	प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित)-	
	प्लांट एवं मशीनरी	
	प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र, प्रयोगशाला एवं अनुसंधान संयंत्र एवं उपकरण में निवेश	
	परीक्षण उपकरण	
	अन्य संयंत्र व मशीनरी	
4	विद्युत आपूर्ति निवेश -	
	आंतरिक विद्युतीकरण,	
	बाह्य विद्युतीकरण	
	स्ट्रीट लाईट व्यवस्था,	
	विद्युत उपकेंद्र	
	केप्टिव विद्युत संयंत्र	
5	जल आपूर्ति निवेश, ओवर हेड टैंक, पंप हाउस, पाईप लाईन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि	
6	अन्य स्थायी निवेश	
7		
8		
	महायोग	

स्थान :

चार्टर्ड इंजीनियर का नाम व पता

दिनांक

सील

हस्ताक्षर

सदस्यता क्रमांक

उपाबंध -11**-:: शपथ पत्र ::-**

औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में आबंटित भूमि को लीज होल्ड से फ्री-होल्ड हेतु शपथ पत्र
(शपथ पत्र रु. 100/- नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत किया जावे।)

मैं _____ पिता/पति/पत्नि _____ उम्र _____ निवासी _____ निम्नानुसार शपथ करता/करती हूँ कि :-

- (1) यह है कि मेरी इकाई मेसर्स _____ को औद्योगिक क्षेत्र _____ जिला _____ में भूखण्ड क्रमांक _____ रकबा _____ हेक्टेयर का आबंटन दिनांक _____ को किया गया है, जिसका भौतिक आधिपत्य मेरे द्वारा दिनांक _____ को प्राप्त किया गया है।
- (2) यह है कि मैं उपरोक्त वर्णित 1 में उल्लेखित भूखण्ड का मैं मूल पट्टेदार/आबंटी हूँ। उक्त भूखण्ड दिनांक _____ से मेरे आधिपत्य में है।
- (3) यह है कि उपरोक्त वर्णित 1 में उल्लेखित भूखण्ड का मेरे द्वारा केवल औद्योगिक प्रयोजन के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
- (4) यह की मेरे द्वारा आबंटित भूखण्ड पर विगत 10/20/30 वर्ष पूर्व में पट्टाभिलेख में उल्लेखित उत्पाद का उत्पादन कार्य किया गया है।
- (5) यह है कि मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित 1 में उल्लेखित भूखण्ड की समस्त देयताओं का संबंधित संस्था को भुगतान कर दिया गया है तथा आज दिनांक _____ की स्थिति में कोई बकाया राशि शेष नहीं है।
- (6) यह है कि मेरे द्वारा लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने हेतु प्रस्तुत आवेदन में दी गयी जानकारी सही व प्रमाणिक है तथा आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज पूर्ण रूप से प्रामाणिक है।
- (7) यह है कि लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने के फलस्वरूप जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सीएसआईडीसी को देय संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क एवं अन्य देय राशियों में होने वाले परिवर्तन हेतु वर्तमान में लागू दर के अनुसार राशि भुगतान करने हेतु मैं सहमत हूँ।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं _____, उम्र _____ वर्ष प्रोपराईटर/पार्टनर/संचालक-मेसर्स _____ सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 7 में दी गई जानकारी मेरे स्वज्ञान, विश्वास में सत्य, सही हैं। अतः आज दिनांक _____ को अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित करता/करती हूँ।

रायपुर

दिनांक / /20.....

शपथकर्ता

उपाबंध -12**INDEMNITY BOND**

(To be executed by the applicant on Non-Judicial Stamp Paper to Rs.100/- and to be attested by Notary)

This indemnity bond is executed on this Day of 20--- by Shri/Smt./Kumari S/o./W/o./D/o.Shir acting for M/s a Proprietorship/Partnership/Company (hereinafter called the 'Executant') in favour of Governor of Chhattisgarh – through Chief General Manager/General Manager (hereinafter called the 'Lessor').

WHEREAS the Executant is the lessee of the Plot No..... Area..... Hectare at Industrial Area District

AND WHEREAS the lessor on the faith and representation made to it, has agreed to convert lease hold rights in respect of the above referred property into free hold rights subject of the Executant giving such indemnity, as is hereinafter contained and keeping the lessor harmless from any claim which anyone may, at any time, institute against the lessor in respect of the above referred property.

Now, this deed witnesses that in consideration of the lessor agreeing to convert the lease hold rights in respect of the above referred property into free hold rights, the Executants hereby covenants with the lessor that he will at all times indemnify and keep harmless the said lessor from all claims and demands made and all actions and proceedings taken against the said lessor by anyone in respect of the aforesaid property or any part thereof, on any ground whatsoever.

In witness whereof the Executant Shri/Smt./Kumar S/o., W/o., D/o. Shri has signed and delivered this bond on this day of 2020 .

Witness :-

Executant

1.

2.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 5 अक्टूबर 2020

क्रमांक/13655/भू-अर्जन/53 अ 82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	मुरली प.ह.नं. 39	4.822	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	मसुरिहा जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 दिसम्बर 2020

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18	0.178

क्रमांक 12644/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

योग

1 0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर पामगढ़ मार्ग में पूल निर्माण हेतु.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसो, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हेक्टेयर में

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/3314.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/1938 रायपुर दिनांक 12-06-2018 द्वारा श्री बी.आर. यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति भटगांव जिला बलौदाबाजार का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक/458/उ.लि./2020 बलौदाबाजार दिनांक 14-09-2020 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति भटगांव में पदस्थ भारसाधक अधिकारी श्री बी.आर. यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी दिनांक 31-03-2020 को सेवानिवृत्त होने का उल्लेख करते हुए उनके स्थान पर श्री बी.एल. साहू वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिलाईगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति भटगांव जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री बी.आर.यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के स्थान पर श्री बी.एल. साहू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिलाईगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति भटगांव जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

(हिम शिखर गुप्ता)

प्रबंध संचालक.